NOC

संख्या-3576/15-7-101701/2000

प्रेषक,

श्याम बहादुर श्रीवास्तव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 सहकारी केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

संख्या 174 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 17 नवम्बर, 2000

विषय:- उदया पब्लिक स्कूल आई०टी०आई० धोराहरा परिक्रमा मार्ग फैजाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उदया पब्लिक स्कूल आई०टी०आई० धोराहरा परिक्रमा मार्ग फैजाबाद को सी०बी०एस०ई० नईदिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा

(3) विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न स्थानों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4) तीसरा चरण राज्य सरकार के किसी अनुदान को मंजूरी की जायेगी और यदि [illegible] में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों का संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(5) शैक्षिक एवं शिक्षेतर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालय संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुसन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे उनका अनुपालन करेंगे।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किये जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव ।

पृ0सं0-3576111/15-7-मा0 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक, फैजाबाद ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ।
4- सहनिरीक्षक अग्नि भारतीय विद्यालय संगठन, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, उदया पब्लिक स्कूल आई0 टी0 आई0 बीरापट्टी परिक्रमा मार्ग, फैजाबाद ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव ।

Principal
Udaya Public School
Faizabad (U.P.)
School No. 9231